संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 19 जनवरी, 2018 : माघ शुक्ल 2 वि. 2074

जो परिवर्तन से सामंजस्य नहीं मिला पाते वे पिछड़ जाते हैं

पद्मावत का प्रदर्शन

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन को रोकने के लिए राजस्थान और गुजरात सरकार की अधिसूचनाओं को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया कि अन्य राज्य भी ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कुछ संशोधन-परिवर्तन के साथ इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कायदे से सेंसर बोर्ड की अनुमति के बाद राज्य सरकारों को इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए था कि फिल्म का विरोध करने वाले किसी तरह का उपद्रव न करने पाएं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अपने रवैये से ऐसे तत्वों को बल प्रदान करने का ही काम किया। इसे एक तरह से अराजकता के समक्ष स्वैच्छिक समर्पण ही कहा जाएगा। समझना कठिन है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन रोकने की तत्परता क्यों दिखाई? क्या ये सरकारें यह साबित करने की होड़ में थीं कि वे उन लोगों की भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं? इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि रतलाम में स्कूली बच्चों की ओर से फिल्म पद्मावत का एक गीत गाए जाने पर आपत्ति उठी तो मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री ने यह कह दिया कि फिल्म के गाने भी प्रतिबंधित हैं। अगर राज्य सरकारें इस तरह किसी संगठन की मांग पर फिल्मों का प्रदर्शन रोकने लगीं तो फिर देश में फिल्मों का निर्माण ही मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दूसरी-तीसरी फिल्म को लेकर कोई न कोई किसी तरह की आपत्ति उठा ही देता है। निराधार आपत्तियों का यह मतलब नहीं कि राज्य सरकारें खुद सेंसर बोर्ड का काम अपने हाथ में ले लें।

सेंसर बोर्ड एक सरकारी संस्था है। उसके अधिकारों का सम्मान राज्य सरकारें नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? सेंसर बोर्ड की इस बात पर भरोसा किया जाना चाहिए कि फिल्म पद्मावत न तो इतिहास से छेड़छाड़ करती है और न ही किसी की भावनाओं की अनदेखी। बेहतर हो कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किंतु-परंतु करने के बजाय कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दें। वे ऐसा ही करें, इसे भाजपा की ओर से भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ही सरकारें पद्मावत का प्रदर्शन रोकने को तैयार थीं। अगर किसी संगठन को यह लगता है कि पद्मावत ठीक फिल्म नहीं है तो उन्हें उसका मर्यादित ढंग से विरोध करने और यह कहने का अधिकार है कि कृपया इस फिल्म को देखने से बचें, लेकिन इसके नाम पर वे उत्पात नहीं मचा सकते। जो लोग पद्मावत की रिलीज के विरोध में हिंसा करने की धमकी दे रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इससे कानून के शासन का उपहास उड़ने के साथ ही अराजकता के जरिये अपनी बात मनवाने वालों को बल मिलेगा। यह विचित्र है कि फिल्म पद्मावत का विरोध वे लोग अधिक कर रहे हैं जिन्होंने न तो फिल्म देखी है और न ही उसकी विषय वस्तु से अवगत हैं?

बच्चों से संवाद

तेजी से बदल रहे सामाजिक परिवेश का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर अब दिखने लगा है। मंगलवार को लखनऊ के एक स्कूल में घटी घटना दिल दहला देती है। अपने स्कूल में छुट्टी कराने के लिए कक्षा सात की एक लड़की ने अपने ही यहां के पहली कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। कानून की आंख में लड़की ने बेशक अपराध किया और उसे इसका दंड भी मिलेगा पर इतनी छोटी लड़की को अपराधी भला कैसे कहा जाए। केवल उस परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए यह घटना चिंताजनक है। क्यों और कहां से लड़की के मन में इतने घातक विचार पनपे। कई बार पहले भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रही हैं। क्यों बच्चे इतने हिंसक हो रहे हैं। क्या इसका एक कारण बच्चों का अकेलापन है। अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों के अभिभावक उन्हें उतना समय नहीं दे पा रहे जितना उनके बच्चे को चाहिए। चूंकि बच्चे अपने में मगन रहना सीख गए हैं लिहाजा अपने मन की बात भी अभिभावकों से कहने से वे बचने लगे हैं। परिणाम यह कि वे अवसादग्रस्त हो रहे हैं और उनके मन में उल्टे-सीधे ख्याल पनपते हैं।

> सबसे अहम है बच्चों और मां-बाप के बीच का संवाद। यह होगा तो बच्चे अपने मन की बात खुलकर शेयर कर सकेंगे

अब भी न चेता गया तो इस प्रवृत्ति के परिणाम भविष्य में और भी बुरे हो सकते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। उनके साथ घूमना-फिरना चाहिए। उनसे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। सबसे अहम है बच्चों और मां-बाप के बीच का संवाद। यह होगा तो बच्चे अपने मन की बात खुलकर शेयर कर सकेंगे। अगर बच्चे डर-डर कर रहेंगे तो वे अपनी बातों को अभिभावकों से छिपाए रखेंगे और मन ही मन घुटते रहेंगे। बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सिर्फ अभिभावकों की ही नहीं है बल्कि स्कूल और कालेज प्रबंधन की भी है क्योंकि बच्चा छह से आठ घंटे का समय स्कूल-कालेज में व्यतीत करता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद यह कहना सही होगा कि भारतीय टीम सिर्फ घर की शेर है?

आज का सवाल

क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिल्म पद्मावत को मंजूरी दिए जाने के बाद भी कुछ तबकों द्वारा उसका विरोध सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

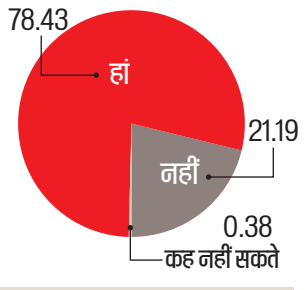

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आसानी से नहीं सुधरेगा पाकिस्तान

विवेक काटजू

अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि उसकी फौज अपना रवैया बदलने पर मजबूर हो जाए

पाकिस्तान के लिए नए साल की शुरुआत खासी निराशाजनक रही। भारत और अफगानिस्तान के साथ उसके तल्ख रिश्ते वैसे ही बने हुए हैं तो अमेरिका संग रिश्तों में और खटास आ गई। पूरे देश में सामाजिक तनाव चरम पर है। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। सेना और सरकार के रिश्ते भी सामान्य नहीं है। इसी साल पाकिस्तान में आम चुनाव भी होने हैं। वहां सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पीएमएल-एन बड़े खराब दौर से गुजर रही है। पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे हैं। यह परिदृश्य किसी भी देश के समक्ष बेहद गंभीर हालात का सूचक है, फिर भी पाकिस्तान में सबसे अहम प्रतिष्ठान पाकिस्तानी सेना आत्मविश्लेषण के लिए तैयार नहीं कि आखिर किन कारणों से पाकिस्तान की यह दुर्दशा हुई और उसका किस तरह निवारण किया जाए? अगर सेना ऐसा करेगी तो उसे महसूस होगा कि यह उसकी आक्रामक भारत नीति ही है जो पड़ोसियों से शांति की राह में बाधक होने के साथ ही पाकिस्तान के स्थायित्व और समृद्धि हासिल करने में भी बाधक बनी हुई है। अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत के साथ रिश्तों की गुत्थी ने ही पाकिस्तान को उलझा रखा है। पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसे अमेरिकी कोप झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल के पहले दिन पाकिस्तान को झूठा और दगाबाज देश करार देकर उसे सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में जिन आतंकियों से लोहा ले रही हैं, पाकिस्तान उन्हें शरण मुहैया करा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मूर्ख समझता आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऐसे दोहरे रवैये को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद अमेरिका ने यह साबित करते हुए कि ट्रंप की चेतावनी दिखावटी नहीं थी, पाकिस्तान को 25.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता और सुरक्षा सहायता मद में दी जाने 1.5 अरब डॉलर की वित्तीय मदद रोक दी।

इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इसमें सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा भी शामिल हुए। बैठक के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप के आरोपों को नकारते हुए कहा कि अपने ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के त्याग को नजरअंदाज किया। उसने यह भी कहा कि 21 अगस्त, 2017 को ट्रंप द्वारा अपनी अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया नीति की घोषणा के बाद उनका यह कदम सही नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी मंत्रियों की भाषा और हाव-भाव आधिकारिक बयान जितने संयमित नहीं थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमेरिका को मिल रही शिकस्त की कुंठा में यह ट्वीट किया। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के नजरिये में बदलाव करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। खबरें आई हैं कि उसने अमेरिका के साथ खुफिया सहयोग करने से भी इन्कार कर दिया है। अतीत में भी वह अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों के लिए आपूर्ति मार्ग को बंद कर चुका है। वह फिर से ऐसा कर सकता है।

अवधेश राजपूत

हालांकि अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों को अन्य मार्गों या फिर हवाई मार्ग से आपूर्ति जारी रख सकता है, लेकिन यह उसके लिए खर्चीला और मुश्किल रहेगा। पाकिस्तान अमेरिकी दबाव को चीन की मदद से दूर करने की फिराक में है। चीन द्वारा ट्रंप के ट्वीट की परोक्ष रूप से आलोचना से यह सही भी मालूम पड़ता है। इन हालात में अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि उसकी फौज रवैया बदलने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की नकेल कसनी होगी ताकि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में उसे मुश्किल आए। अगर अमेरिका डूरंड रेखा पारकर पाकिस्तान में तालिबान की सुरक्षित शरणगाहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करे तो यह और भी प्रभावी होगा। साथ ही उसे पाकिस्तान से आपूर्ति मार्ग पर निर्भरता घटानी होगी और नए वैकल्पिक मार्ग बनाने होंगे, भले ही यह उसके लिए कुछ खर्चीला ही क्यों न हो। फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि अमेरिका ऐसा ही करेगा। इसके प्रबल आसार हैं कि पाकिस्तान अभी यही मानकर चल रहा होगा कि जिस तरह ट्रंप के पूर्ववर्ती पाकिस्तानी दबाव के आगे झुकते रहे, ट्रंप भी वही करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की बुनियादी समस्या यह है कि वह वहां भारत की अहमियत घटाना चाहता है। वह ट्रंप की अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया नीति के खिलाफ है, क्योंकि उसमें तालिबान की पाकिस्तानी पनाहगाहों को नेस्तनाबूद करने की बात है, लेकिन इससे भी बढ़कर उसका विरोध इसमें भारत को मिलने वाली व्यापक भूमिका से है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी और मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला से पाकिस्तान को यही शिकायत है कि ये नेता नहीं चाहते कि उनकी भारत नीति पाकिस्तानी फौज तैयार करे। इन नेताओं ने पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की तमाम कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का इसी पर जोर है कि अफगानिस्तान को भारत से अपने रिश्ते और मजबूत नहीं बनाने चाहिए।

पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत और अफगानिस्तान अफगान इलाकों से उसे अस्थिर करने में जुट गए तो यह उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा। अब वह भारत पर बलूचिस्तान में दखल देने और इसके लिए अफगानिस्तान के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। उसका यह भी दावा है कि पाकिस्तानी तालिबान को अफगानिस्तान की शह मिली हुई है। पाकिस्तान वक्त-बेवक्त भारत पर आतंकी समूहों की मदद का आरोप भी लगाता आया है, लेकिन तथ्य यही है कि उसके आरोप और उसका डर आधारहीन है। चूंकि वह खुद अपनी विदेश और सुरक्षा नीति में आतंकी समूहों का इस्तेमाल करता है इसलिए वह दूसरों को लेकर भी ऐसा ही सोचता है। पाकिस्तानी फौज की आतंकी समूहों से सांठगांठ जगजाहिर है। अब जरूरत यह है कि पाकिस्तान पर इन आतंकी समूहों से रिश्ते तोड़ने का दबाव बनाया जाए।

चूंकि चीन पाकिस्तान की ढाल बनकर उभरा है इसलिए पाकिस्तानी फौज को लगता है कि अमेरिकी दबाव का प्रतिकार करने में उसे आसानी होगी। अफगानिस्तान और विशेषकर भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव लाने की उसकी कोई मंशा नहीं है। भारत को लेकर वह अपनी टकराव वाली नीति ही जारी रखेगा। हमारे नीति निर्माता भी इसे लेकर किसी मुगालते में न रहें, भले ही दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेल-मुलाकातें जारी हों। भारत के लिए जरूरी है कि वह पाकिस्तानी आतंक से निपटने को लेकर उसे कड़ा संदेश देता रहे और सीमा पर उसकी किसी भी उद्दंडता का मुंहतोड़ जवाब दे। भारत को अपने इस रुख पर अडिग रहना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान आतंक को पोषित करता रहेगा तब तक उसके साथ कोई वार्ता नहीं हो सकती। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की ढुलमुल रवैये वाली पुरानी नीति कारगर नहीं रही है।

(लेखक विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव एवं पाकिस्तानी मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

उपभोक्ता हितों की रक्षा का नया युग

डॉ. प्रेमलता

नए-नवेले उपभोक्ता कानून को जैसा स्वरूप मिला है उससे तमाम समस्याओं के समाधान में मदद मिलने की संभावना है

उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक-2017 लोकसभा में पेश हो चुका है। संसद से इसके पारित होते ही उपभोक्ताओं के लिए एक नए युग का प्रारंभ होना सुनिश्चित है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक बड़े आंदोलन का परिणाम था जब पहली बार बड़े व्यवसायियों की मनमानी पर अंकुश लगा और उपभोक्ताओं के लिए अलग से कानून बना। शताब्दियों पुराने कानूनों के बीच यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें बड़ी तेजी से सुधार हुए और एक आंदोलन की तरह यह बड़े-बड़े कदमों से नए-नए संशोधनों के साथ आगे बढ़ता गया। वर्ष 1986 के बाद 1991 में पहले संशोधन में तीन सदस्यों में से दो सदस्यों के हस्ताक्षर से आदेश पारित हो जाने का प्रावधान करके संसद ने इस अड़चन को दूर कर दिया कि यदि तीन सदस्यों में से एक सदस्य उपस्थित न हो पाए तो अदालत की प्रक्रिया कैसे चले? 1993 तक सर्वोच्च न्यायालय में कई बड़े मुद्दे पहुंच चुके थे जिससे एक नई समस्या सामने आई। एक महत्वपूर्ण मामला जून 1993 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुना जा रहा था। वह मकान बनाकर देने में विलंब का मामला था जिसमें मुख्य प्रश्न यह था कि मकान अचल संपत्ति है इसलिए वस्तु नहीं है और यह उपभोक्ता अदालत का मामला ही नहीं बनता। यही वह मोड़ था जब सर्वोच्च न्यायालय ने सर्विसेस की व्याख्या की और विभिन्न सेवाओं को भी उपभोक्ता अदालत की परिधि में माना।

उसी वर्ष अगस्त 1993 में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन कर कई सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया। फिर बैंकिंग, भवन निर्माण, रेल और हवाई सेवा, शिक्षा, कुरियर, करियर, बीमा, चिकित्सा, सहकारी समितियां, होटल, रेस्त्रां आदि उपभोक्ता अदालतों के दायरे में आने लगे। इसके बाद बड़े व्यापारियों और पेशेवर तबकों में छटपटाहट का दौर शुरू हो गया। रेलवे, बैंक, सहकारी समितियां, शिक्षा संस्थान और डॉक्टर आदि तक उपभोक्ता अदालत के वर्चस्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि वर्ष 1996 में कर्नाटक में उपभोक्ता अधिनियम की अस्मिता को ही चुनौती दे दी गई कि संसद को सिविल कोर्ट के समकक्ष एक नई अदालत खड़ी करने का अधिकार ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक सभी तर्कों को खारिज करते हुए यह माना कि देश में विद्यमान अन्य कानूनों के साथ-साथ उपभोक्ता के पास वस्तु में दोष या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता अदालत एक अतिरिक्त विकल्प रहेगा। वर्ष 2002 में एक बड़ा संशोधन फिर हुआ और उपभोक्ता अदालतों को अपने निर्णय का अनुपालन करवाने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिए गए। चुनौतियां फिर भी बहुत थीं। सरकार ने पुरजोर तरीके से 'जागो ग्राहक जागो' के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों का प्रचार किया। अब उपभोक्ता तो जागरूक हो गया, साथ ही उसकी अपेक्षा भी बढ़ती गई, लेकिन व्यापार संसार के विस्तार के साथ कुछ और बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अदालतों के समक्ष आने वाली कई समस्याओं पर सरकार और अदालतों के बीच व्यापक चर्चा बहुत पहले से शुरू हो गई थी। नए कानून को जिस तरह का स्वरूप मिला है वह अपने साथ बहुत समाधान ले कर आ रहा है।

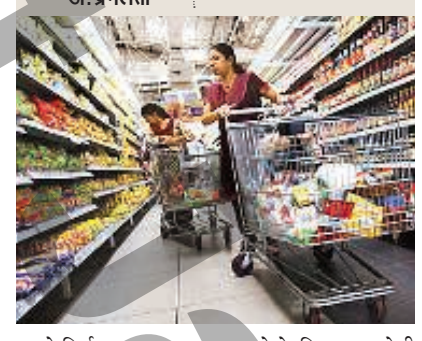

पहले उपभोक्ता अदालतों में काम करने वाला स्टाफ अन्यत्र कभी भी स्थानांतरित हो जाता था। अदालत की प्रक्रिया और काम अन्य विभागों से अलग होता है और जब तक कोई कार्मिक काम सीखता है उसका स्थानांतरण हो जाता है। नए अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अदालतों में नियुक्त कार्मिक अदालत के प्रमुख की निगरानी में काम करेंगे। मौजूदा प्रावधान के अनुसार आदेश के अनुपालन के लिए उपभोक्ता को ही तीस दिन की प्रतीक्षा के बाद अदालत में अनुपालन की याचिका लगानी होती है। ऐसे में फिर से नोटिस भेजा जाता है, लेकिन कई मामलों में आरोपी व्यक्ति पता बदल देता था। अब वह आदेश को सिविल कोर्ट की तरह अनुपालन करा सकेगी। अथॉरिटी का गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो स्वयं कई बातों का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी और इसका स्वरूप राष्ट्रीय होगा। बहुत सारे मसलों में अथॉरिटी को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह उत्पादक के दायित्व, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन जैसे मामलों को स्वतः ही उठा सके और संबद्ध ट्रेडर/उत्पादक को वारंट जारी कर सके, जांच कर सके और उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल गतिविधि पाई जाने पर उन्हें समुचित आदेश दे सके, दंड तक दे सके और अदालत में भी मुद्दा उठा सके।

यद्यपि भ्रामक विज्ञापनों पर उपभोक्ता अदालतें अभी भी उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के साथ उन्हें न छापने या उनमें संशोधन के आदेश देती हैं, किंतु उनका अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई विकल्प अदालत के पास नहीं है जब तक कि उपभोक्ता याचिका न दायर करे। इस विषय में अथॉरिटी के गठन के साथ व्यापक प्रावधान हुए हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है वह यह कि उत्पाद का विज्ञापन देने वाला ही नहीं विज्ञापन का चेहरा बनने वाला व्यक्ति भी भ्रामक बात बोलने के लिए दोषी होगा। चूंकि अब ऑनलाइन खरीद का चलन बढ़ गया है और अभी तक इंडियन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 की सहायता से ही काम चल रहा था इसलिए नए अधिनियम के तहत अब उपभोक्ता जहां रहता है उस क्षेत्र में स्थित अदालत में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि अभी तक उसे विपक्षी के कार्यस्थल पर ही केस दर्ज करना पड़ता था। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑनलाइन खरीदारों के लिए यह होने वाली है कि उत्पादक और खरीदार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले या सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देने वाले या उत्पाद को विज्ञापित करने में सहायता करने वाले की भी जिम्मेदारी होगी कि वह अदालत या अथॉरिटी को सभी दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराए। यही नहीं जो कुछ भी उत्पाद के बारे में बताया, छापा या विज्ञापित किया जाएगा, उत्पादक उसके प्रति अपने दायित्व से अदालत में या अथॉरिटी के समक्ष इन्कार नहीं कर सकेगा। इससे पहले उपभोक्ता को ऑनलाइन खरीद पर खरीद के बाद की वारंटी सेवाएं नहीं मिलती थीं और जब ऐसे मामले अदालतों के सामने आते थे तब उत्पादक यह कहकर मुक्त हो जाता था कि उसका सामान बेचने के लिए उसने किसी मध्यस्थ को अथॉरिटी नहीं दी और सामान उनके अधिकृत डीलर से नहीं लिया गया। नए अधिनियम से अदालत से बाहर पार्टियों के बीच मध्यस्थता का भी एक नया अध्याय शुरू होगा।

(लेखिका उपभोक्ता अदालत की पूर्व जज हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दान

सभी धर्मों में दान की महत्ता बताई है। दान का आशय त्याग है। मतलब जो वस्तु दान में दी जाती है, उस वस्तु से लगाव, मोह, अपनत्व का त्याग करना। बेटी के माता-पिता का लगाव बेटी से होता है, लेकिन विवाह के बाद उसे इस लगाव को अंततः त्यागना पड़ता है, जबकि माता-पिता विवाह के पूर्व उसके लालन-पालन, पोषण में पुत्र की तरह ही हर प्रकार का निवेश करते हैं। इस निवेश में मन, आत्मा की ऊर्जा के साथ भौतिक पदार्थ और धन आदि शामिल होता है। दान से त्याग की जो प्रवृत्ति विकसित होती है, वह आंतरिक सुख के साथ त्याग की स्थिति में मनोमालिन्य का भाव नहीं उत्पन्न होने देता। कृपण व्यक्ति छोटी भी वस्तु के दान से अवसाद में चला जाता है, लेकिन इसके मूल भाव को समझे बिना पर्वों-त्योहारों, शुभ-दिनों में दान से पुण्य के साथ मनोकामना पूर्ति के संदेश दिए जा रहे हैं। कोई नौकरी, व्यापार, बीमारी, मुकदमे या अन्य किसी सफलता की कामना के साथ जब अपने धर्मगुरु के पास जाता है, तब उसे रुपये-पैसे, सोना-चांदी, वस्त्र-अनाज आदि के दान के लिए कहा जाता है तथा यह बताया जाता है कि इससे ऊपरवाला बहुत खुश होगा और मन की मुराद पूरी कर देगा। जो सर्वथा अवैज्ञानिक भाव है। यह भी सत्य है कि सही दान से सुकून मिलता है। जिस दान से सुकून न मिले, वह दान है ही नहीं। यदि कोई बाह्य आकर्षण जो सोने व चांदी की तरह लुभावना क्यों न हो, उसे स्वीकार न करना भी दान या त्याग है, क्योंकि अवांछित लुभावनी वस्तुएं या स्थितियां साथ में समस्याएं भी ले आती हैं। जीवन को त्योहारमय और उल्लासमय बनाने के लिए बाहरी आकर्षण से प्रभावित न होना दान के संदेश में छुपा हुआ है, लेकिन इस तरह उन लोगों की दुकानदारी प्रभावित होने लगती है जो धर्म का भय दिखाकर अपना जीवन चलाते हैं।

इसके अलावा धर्मग्रंथों में सुपात्र को ही दान देने का विधान है। दान से कोई आलसी बन रहा हो, कामधाम छोड़कर दान में मिली वस्तु से जीवन चला रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को दान देने से पाप लगता है। दान का ढिंढोरा पीटने, दान कर उससे वाहवाही लेने से भी पाप लगता है। इसलिए दान देना ही महत्वपूर्ण नहीं। जैसे किसी भी काम में समुचित निवेश से सफलता मिलती है, वैसे दान में भी समुचित पात्र तलाशने का काम करना चाहिए।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सकारात्मक दृष्टि से देखें इस दोस्ती को

सबके हित में है भारत-इजरायल दोस्ती शीर्षक से लिखे अपने लेख में समीर चंद्रा ने वैश्विक संदर्भ में जिस तरह से भारत-इजरायल दोस्ती को सकारात्मक बताया है, वह न केवल विश्व के मध्य-पूर्व क्षेत्र की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपितु दशकों से चल रहे इजरायल-फलस्तीन विवाद के समाधान में भी सहयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि जब अमेरिका ने अपनी हनक में यरुशलम को इजरायल की राजधानी घोषित कर दिया था तो उस समय भारत ने नीर-क्षीर विवेक के साथ अमेरिका के इस निर्णय के विरोध में खड़े होने वाले देशों का समर्थन करते हुए अमेरिकी नीति पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। बावजूद इसके इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यदि भारत की दमदार दोस्ती की हामी भर रहे हैं तो इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता स्पष्ट हो रही है। निःसंदेह भारत-इजरायल के मित्रतापूर्ण संबंधों से भारतीय सुरक्षा, उद्योग और रोजगार-सृजन को नया आयाम मिलेगा। दोनों देशों की इस दोस्ती को आज इसी सकारात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है। जिहादी आतंकवाद विश्व को अशांत कर रहा है। ऐसे में वैश्विक शांति के लिए इस अमानवीय आतंकवाद के प्रतिकार में खड़े होने वाले देशों के साथ विकासपरक समन्वय की महती आवश्यकता है। इजरायल जैसा छोटा सा यहूदी देश इस मुहिम में जिस साहस का परिचय दे रहा है, वह आतंकवाद से पीड़ित भारत के लिए प्रेरणादायी बन सकता है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

फर्जी डिग्री का खेल

कुछ निजी शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों को भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से लूटने का काम कर रहे हैं। मनमर्जी फीस लेकर किसी भी संस्थान की गैर मान्यता प्राप्त डिग्री बच्चों को थमा देते हैं। जिस डिग्री और कोर्स के भरोसे युवा अपने जीवन को संभालने के लिए कठिन मेहनत करता है और बाद में उसी डिग्री के फर्जी पाए जाने पर मानसिक परेशानी झेलने पर मजबूर होता है। ऐसे में ठगे हुए विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। जिन शिक्षण संस्थानों को किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है उनके खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए।

आचार्य रामकुमार बघेल शास्त्री, पलवल

इजरायल का जज्बा

एक छोटा सा देश इजरायल किस तरह से दुनिया में एक ताकत बन गया वो अपने आप में उसके बुलंद हौसलों को दर्शाता है। वहां के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि मजबूत देश ही आगे बढ़ता है और कमजोर देश खत्म हो जाता है। ऐसे में इजरायल ने एक लक्ष्य बनाकर अपने देश को आगे बढ़ाया, चाहे सैन्य ताकत व आर्थिक ताकत रही हो उसके अपने मजबूत इरादों के आगे ये सारे लक्ष्य बौने साबित हुए। अब वो राजनीतिक ताकत बढ़ाने की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। अपनी तकनीक व शोध विकास से इजरायल ने अपनी कठिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया वो एक मिसाल है।

ss6066356@gmail.com

महत्वपूर्ण यात्रा

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भारत और इजराइल के मध्य प्रौद्योगिकी एवं सामरिक क्षेत्रों में संबंधों को नई राह प्रदान करना है। तरक्की की राह पर दोनों देश एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत-इजराइल के रिश्तों को प्रगाढ बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते की आवश्यकता है।

अंकित कुंवर, आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली

वोट बैंक की राजनीति

एड्स पीड़ितों की पेंशन राशि और सुविधाएं न बढ़ाने पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के तहत बिलों का भुगतान न करने वालों को तो मुफ्त बिजली -पानी मिलता है और समय पर नियमित भुगतान करने वालों को कुछ नहीं। यह उनके साथ अन्याय है। सभी के लिए स्वच्छ पानी जरूरी है और दिल्ली निवासी अन्य अच्छी सुविधा भी चाहते हैं। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बसी कालोनियों में ज्यादातर गरीब जनता पावर आफ अटार्नी पर खरीदी जमीन पर बने मकानों में रहती है। सरकार को पहले इन्हें मालिकाना हक देकर लालडोरा सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि ये वंचित परिवार पानी बिजली का कनेक्शन ले सकें। यह मालिकाना हक मुफ्त बिजली -पानी से कहीं अधिक जरूरी है।

महेंद्र मान, अलीपुर

नशे में युवा

आज देश में एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, वह है युवाओं के नशे का शिकार होना। लगभग 10 प्रतिशत युवा नशे के शिकार हैं। नशा एक ऐसी बुराई है, जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही नष्ट हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ बन जाता है, उसकी समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगता शून्य हो जाती है। वह नशे से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है तथा शांतिपूर्ण समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। समाज में पनप रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों का एक कारण नशा भी है। समाज में प्रचलित हर प्रकार के नशे का त्याग जरूरी है।

rohatdhanrajlohar@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

नारी मां जैसी कोमल होती है तो दुर्गा सी तजोमयी दुष्टदलक भी! प्रथम महिला रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन जी की सुखोई उड़ाते छवि भारतवर्ष की बेटियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। गर्व है आप पर।

मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

अग्नि-पांच ने मिशन के सभी मकसद हासिल किए। 5,000 किलोमीटर की भेदन क्षमता के साथ यह अंतर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल श्रेणी में आ गई है। डीआरडी